न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, त्वरित–प्रथम, अम्बेडकर नगर।

सिविल अपील सं०–71/16

विमला आदि बनाम उ०प्र० सरकार आदि।

दि०–15/03/2022

आज पत्रावली प्रा०पत्र 21ग पर आदेशार्थ नियत है।

उक्त प्रा०पत्र, अपीलार्थीगण की ओर से मय शपथ पत्र 22ग इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त अपील अंगीकृत व पंजीकृत है जिस पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अभिमत है कि अंगीकृत व पंजीकृत होने की दशा में स्थगन आदेश पारित होना चाहिए। विवादित भूमि में अपीलार्थीगण का प्रत्यक्ष हित सन्निहित है और उनका कब्जा वर्ष 1985 के पूर्व से ही वाद सं०–229/1985 दखलयावी जरिये इन्हेंदाम रामकेवल बनाम सोहन सिंह आदि से साबित है। जैसा कि अपील के आधार सं० 3 व 4 मे कहा भी गया है, जो पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य से साबित है और निचली अदालत में साबित है, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि० 31.08.2008 विधि–विरूद्ध एवं अवैधानिक है, जिसके निरस्त होने की प्रबल संभावना है। मौके पर विपक्षीगण उसकी नवैयत, विधि–विरूद्ध व अवैधानिक ढंग से बदल देना चाहते हैं जबकि प्रथमदृष्ट्या अपीलार्थीगण का है। ऐसी स्थिति में अपील के निस्तारण तक विवादित भूमि की वर्तमान स्थिति को बदलने से रोका जाना न्यायहित में है अन्यथा अपील का उद्देश्य खत्म हो जायेगा जिससे अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः अपील के निस्तारण तक विवादित भूमि की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई है।

प्रत्यर्थी उ०प्र० राज्य की ओर से उक्त प्रा०पत्र के विरूद्ध आपत्ति कागज सं० 33ग प्रस्तुत कर कहा गया है कि प्रस्तुत अपील पी.पी. एक्ट के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल की गई है जिसमें स्थगन का कोई प्रावधान ही नहीं है। पी.पी. एक्ट के अंतर्गत पारित आदेश भूखण्ड सं० 62 के सम्बंध में पारित किया गया है जिस पर अपीलार्थीगण ने फर्जी तरीके से अपना नाम अंकित करा लिया था। उक्त भूखण्ड सं० 62 पर जिन लोगों के नाम थे उनमें से केवल गुरूबख्श ही जीवित है। फर्जी तरीके से अंकित नाम को उपजिलाधिकारी, अकबरपुर का आदेश निरस्त कर दिया गया और पूर्ववत " सड़क जेरे इंतिजाम सूबेजाती मुहकमा इंजीनियरिंग" के नाम अंकित हो गया जिसके विरूद्ध गुरूबख्श सिंह ने मण्डलायुक्त, मण्डल फैजाबाद के यहां अपील प्रस्तुत किया जिसे मण्डलायुक्त ने निरस्त करते हुए गुरूबख्श सिंह के विरूद्ध फर्जी इंद्राज कराने के सम्बंध में प्राथमिक सूचना दर्ज कराने और दण्डनीय कार्यवाही करने का आदेश दिया। जिसके आधार पर गुरूबख्श सिंह के विरूद्ध अपराध सं० 94/2003 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471 व 120B कायम हुआ और वाद सं० 2704/2012 सरकार बनाम गुरूबख्श सिंह में दिनांक 15.04.2014 को गुरूबख्श सिंह के विरूद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर के द्वारा सजा हुई। जिसके विरूद्ध फौजदारी अपील सं० 18/2014 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 1 अम्बेडकर नगर के यहां से निरस्त हो गया। पी.पी. एक्ट के अंतर्गत दिनांक 31.07.2008 को परगनाधिकारी अकबरपुर द्वारा पारित आदेश का क्रियान्वयन दिनांक 12.03.2020 को मौके पर हो चुका है। अपीलार्थीगण का अवैध निर्माण व कब्जा हटवाकर लोक निर्माण विभाग को कब्जा वापस कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अब अपील ही पोषणीय नहीं है। उपरोक्त भूखण्ड संख्या, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की सम्पत्ति है, अपीलार्थीगण के नाम अंकित नहीं है, उनका कब्जा नहीं है। अपीलार्थीगण का कोई प्रथमदृष्ट्या केस नहीं है और सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में नही है और न ही स्थगन आदेश पारित न होने से उन्हें कोई अपूर्णनीय क्षति है। प्रकीर्ण अपील सन् 2008 में दायर किया गया, 13 वर्ष से ज्यादा हो गया है, आदेश का क्रियान्वयन मौके पर हो गया है। अतः प्रा०पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

उभयपक्ष के वि० अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रायः प्रा०पत्र में उल्लिखित आधारों को दोहराते हुए वि० अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि दौरान अपील मौके पर यथास्थिति बनाये रखने हेतु पक्षकारों को आदेशित किया जाय।

वि० अधिवक्ता डी०जी०सी० (सिविल) का तर्क है कि मौके पर अपीलार्थी का न तो कोई निर्माण है और न ही कहीं भी उसका कोई कब्जा ही रह गया है। स्थगन आदेश का कोई औचित्य ही शेष नहीं रहा।

अपीलार्थीगण की ओर से अपने प्रा०पत्र में यह कथन किया गया है कि विवादित भूमि पर उनका कब्जा है और

मौके पर विपक्षीगण उसकी नवैयत बदलना चाहते हैं और यह प्रार्थना की गई है कि अपील के निस्तारण तक विवादित भूमि की वर्तमान स्थिति को बदलने से रोका जाये। इसके विरूद्ध प्रत्यर्थी की ओर से कथन किया गया है कि परगनाधिकारी अकबरपुर के द्वारा पारित आदेश दि० 31.07.2008 का क्रियानवयन दि० 12.03.2020 को मौके पर हो चुका है और निर्माण व कब्जा हटवाकर लोक निर्माण विभाग को कब्जा वापस कर दिया गया है। अपने समर्थन में प्रत्यर्थी की ओर से सूची से कागज सं० 26ग/1–3 प्रस्तुत किया गया है, जो प्रत्यर्थी के उक्त कथन का समर्थन करती है कि मौके पर निर्माण व कब्जा हटवाया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि उक्त के खण्डन में अपीलार्थी की ओर से कोई प्रतिआपत्ति अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। चूंकि स्वयं अपीलार्थी के उक्त प्रा०पत्र में किये गये कथन के अनुसार विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा/निर्माण ही प्रथमदृष्ट्या नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के सम्बंध में कोई स्थगन आदेश पारित किये जाने का कोई आधार व औचित्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत विधिक दृष्टांत मूलचंद यादव बनाम राजा बुलंद शुगर कॉ० लि०, (1982) 3 SCC 484 व राधारानी कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि०, 2009 (27) LCD 1391 लागू नहीं होते हैं क्योंकि उनके तथ्य, प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न हैं। अतः उक्त प्रा०पत्र स्वीकार होने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रा०पत्र 21ग निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 29.03.2022 को पेश हो।

दिनांक 15.03.2022

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर जिला न्यायाधीश
त्वरित प्रथम, अम्बेडकर नगर।
जे०ओ० कोड–(UP 1561)

Digitally signed by Abhishek Kumar Srivastav
Date: 2022.03.16 14:05:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court